उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या- 05/2016/950/92-2-16-03जांच/2012

लखनऊ:: दिनांक:: 25 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-कुम्भी के अंतर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्राम मढिया तथा विकास खण्ड-मोहम्मदी के अंतर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्राम झिगुरी पुरवा, पालचक, बिचपरी एवं तेन्दुआ कन्जा मे डॉ0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के अंतर्गत कराये गये सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण कार्यो के टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी अनियमितताओं के लिये प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-461/92(प्रकोष्ठ)/14-03जांच/2012 दिनांक 15-12-2014 द्वारा श्री ओ0 पी0 प्रेमी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये उक्त जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र दिनांक 10-7-2015 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 04 आरोपों में आरोप सं0-3 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया। जांच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 28-07-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 14-09-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया है कि श्री ओ0पी0 प्रेमी, तत्कालीन सहायक अभियंता लीन कंक्रीट की मापी की चेकिंग नियमानुसार न किये जाने के दोषी है। अत: इस क्रृत्य के लिये श्री ओ0पी0 प्रेमी, तत्कालीन सहायक अभियंता की एक वेतनवृद्वि अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये रोके जोने एवं निम्नवत परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान करते हुये इनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा समाप्त किये जाने का श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के परिपत्र दिनांक 28-07-2000 में विहित व्यवस्थानुसार विकास खण्ड-कुम्भी तथा मोहम्मदी के अंतर्गत डा0 अम्बेडकर ग्राम मढिया एवं रायपुर ग्रन्ट तथा झिगुरी पुरवा, पालक, विचपरी एवं तेन्दुआ कन्जा में सम्पादित सी0सी0 कार्यो की मापी लीन कंक्रीट एवं नियमानुसार शत प्रतिशत न कर मापी की चेकिंग आंशिक रूप में की गयी। इस प्रकार लीन कंक्रीट की नियमानुसार मापी की चेकिंग न लिए जाने हेतु श्री ओ0पी0 प्रेमी को एतदद्वारा 'परिनिन्दित' किया जाता है। यह परिनिन्दा प्रविष्टि वर्ष 2014-15 के लिये मानी जायेगी।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 05/2016/950/92-2-16 तददिनांकित।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ।

4- श्री ओ0पी0 प्रेमी, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुभाग अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।